राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 83/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी –आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि0 सैकण्ड फ्लोर, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर	बनाम	1. श्रीमती बिन्दु पाराशर पत्नि प्रतीक पाराशर निवासी फ्लैट नंबर ई–2/12, पटेल नगर के पीछे, इन्दिरा विहार योजना, भीलवाड़ा 2. श्री प्रतीक पाराशर पुत्र हरीशंकर पारीक निवासी फ्लैट नंबर ई–2/12, पटेल नगर के पीछे, इन्दिरा विहार योजना, भीलवाड़ा
–– प्रार्थी		––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी – श्री अक्षय खण्डेलवाल।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 14.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि0 सैकण्ड फ्लोर, मनउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी, जिसमें अप्रार्थी को 3,80,000/– रूपये का ऋण दिनांक 04.02.2020 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – फ्लैट नंबर ई–2/12, इन्दिरा विहार स्कीम, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा कुल क्षेत्रफल 325 वर्गफीट जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व में ओपन, पश्चिम में फ्लैट नंबर ई–2/13, उत्तर में ओपन व दक्षिण में फ्लैट नंबर ई–2/11 स्थित है (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार) को रहन रखा गया। दिनांक 15.09.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 3,82,742.68/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक 01.08.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।